

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक- 11.06.2014 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोवेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र /निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	मनीषा मारोटिया व्या. वाणिज्य	रा.महा.गांधी.उ.मा.वि. -अजमेर	02.04.19 से 05.04.19	04 दिवस कुल 04 दिवस
2	अनिता कुमारी व्या. इतिहास	रा.उ.मा.वि रेलड़ा-पाली	05.02.18 से 09.02.18 19.02.18 से 27.02.18 04.02.19 से 14.02.19 16.02.19 से 26.02.19 13.03.19 से 16.03.19 19.03.19 से 31.03.19 01.04.19 से 03.04.19	05 दिवस 09 दिवस 11 दिवस 11 दिवस 04 दिवस 13 दिवस 03 दिवस कुल 56 दिवस

नोट:- क्रम संख्य 02 पर अंकित व्या. अनिता कुमारी व्या. इतिहास के 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश के उपभोग किए जाने से कार्मिक के परिवीक्षाकाल में उतने ही दिन की वृद्धि होगी तथा बढ़ी हुई परिवीक्षाकाल अवधि में और असाधारण अवकाश लेने पर परिवीक्षाकाल तदनुसार उतने ही दिवस की वृद्धि और होगी। संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27-05-2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18-19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर